

सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

नीति आयोग द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह ने सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिये एक नए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकालीन प्रबंधन अधिनियम (PHEMA) की सफारिश की है।

- **PHEMA का उद्देश्य** राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र बनाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिये सशक्त बनाना है।
 - इसमें **महामारी, गैर-संचारी रोग, आपदाएँ और जैव-आतंकवाद** को शामिल किया जाएगा।
- **प्रमुख अनुशंसाएँ:**
 - **सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) का गठन:** यह महामारी संबंधी तैयारियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों का समन्वय करेगा तथा इसकी अध्यक्षता **कैबिनेट सचिव** द्वारा किये जाने का प्रस्ताव है।
 - **स्कोरकार्ड तंत्र का कार्यान्वयन:** एक संरचित स्कोरकार्ड प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में **प्रगत पर नज़र रखेगा** ताकि तैयारी और जवाबदेही सुनिश्चिता की जा सके।
 - **महामारी तैयारी और आपातकालीन मोचन कोष:** **जीनोमिक नगिरानी, वैक्सीन विकास** और साइबो बुनियादी अवसरचना जैसी गतिविधियों को वृत्तपोषित करने के लिये।
 - **वैश्विक सामंजस्य:** नियामक डेटा की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति को सुगम बनाने के लिये भारतीय नियामक मानदंडों को वैश्विक मानकों के साथ संरेखित करने का समर्थन।
 - **क्लिनिकल परीक्षण नेटवर्क का विकास:** विश्व स्तर पर विकास प्रथाओं तक पहुँच में तेज़ी लाना और अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान प्रयासों में भारत की भागीदारी को बढ़ाना।

और पढ़ें: [अंतरराष्ट्रीय चर्चा संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल](#)